न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/59/2019

प्रवेश तिथि 31.10.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री रामेश्वरदयाल पुत्र घासीराम (श्योसहाय) निवासी–ग्राम–नयाबास, पोस्ट–दरिबा प्रोजेक्ट, तहसील–राजगढ, जिला–अलवर (राज.)–301410		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02.12.2019

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजगढ को दिनांकः– को आवेदन प्रस्तुत कर आ.ख.नं. 477/0.61 व 484/1.13, ग्राम थाना ढूंढपुरी, तहसील–राजगढ स्थित भूमि के संबंध में दिनांक 29.01.1975 को उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा जारी पट्टा, संबंधित इन्तकाल नंबर 9 व 78 की पॉच–पॉच सत्यापित प्रतियाँ उपलब्ध कराने बाबत 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार राजगढ द्वारा उक्त आवेदन के बिन्दु सं.1 की विषयवस्तु उपखण्ड अधिकारी राजगढ से संबंधित होने के कारण पत्रांकः भू.अ./2019/2320–21 दिनांकः 26.08.2019 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी राजगढ को **आवेदन अन्तरित कर** लिखते हुए आवेदन के शेष बिन्दु सं.2 व 3 पर विनिश्चय कर सूचित किया है।
5. अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 10.9.19 के माध्यम से प्रकरण में जिला कलक्टर महोदय, अलवर को प्रस्तुत प्रथम अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, अलवर के पत्रांकः लो.सू.अ./प्र.अ./2019/2344 दिनांकः 24.10.19 के माध्यम से अपील के बिन्दु सं.1 पर सुनवाई हेतु प्राप्त हुई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस के माध्यम से तलब किया गया। समयान्तर में जवाब अप्राप्त रहने के कारण बार–बार स्मरण–पत्र जारी करने उपरान्त भी प्रत्यर्थी की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ और ना ही कोई सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा।
7. हमने अपील में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांक–(आवेदन में प्रस्तुत करने का दिनांक अंकित नहीं है) के माध्यम से तहसीलदार राजगढ (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आ.ख.नं. 477/0.61 व 484/1.13, ग्राम थाना ढूंढपुरी, तहसील–राजगढ स्थित भूमि के संबंध में दिनांक 29.01.1975 को उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा जारी पट्टा, संबंधित इन्तकाल नंबर 9 व

78 की पॉच–पॉच सत्यापित प्रतियाँ उपलब्ध कराने बाबत 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। उक्त आवेदन पर तहसीलदार राजगढ द्वारा पत्रांकः भू.अ./2019/2320–21 दिनांकः **26.08.2019** के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी राजगढ को बिन्दु सं.1 के संबंध में **आवेदन दिनांकः 23.7.19 अन्तरित कर** लिखते हुए आवेदन के शेष बिन्दु सं.2 व 3 पर विनिश्चय कर सूचित किया है जो कि अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के प्रकाश में अधिकतम 05 दिवस में ही अन्तरित किया जाना था, इस प्रकार तहसीलदार राजगढ द्वारा विधिक त्रुटि की है।

8. पत्रावली के अवलोकन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आवेदन के बिन्दु सं.1 के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है और अपील प्रस्तुत किए जाने पर इस न्यायालय को ना ही जवाब प्रेषित किया गया और ना ही किसी प्रकार का प्रत्युत्तर ही प्रस्तुत किया जो उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति प्रत्यर्थी की लापरवाही व उदासीनता का परिचायक है।
9. उक्त आलोक में आवेदन दिनांकः 30.07.19 के बिन्दु सं.1 के परिप्रक्ष्य में प्रथम अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार अभिप्रमाणित कर निःशुल्क ही प्रेषित की जावे एवं भविष्य में सतर्क व सजग रहकर उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदन/अपीलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ तहसीलदार राजगढ (अलवर) को भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के प्रकाश में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर पूर्ण गौर कर अतित्वरित, समयबद्ध निस्तारण वास्ते प्रेषित की जावे।
11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्राप्त प्रथम अपीलें, अधिनियम के प्रावधानानुसार निःशुल्क रखी जाने के कारण अपील के साथ संलग्न होकर प्राप्त आई.पी. ओ. संख्या 46F 883372 राशि रू. 10/- निर्णय प्रति के साथ अपीलार्थी को वापस भिजवाया जावे।
12. आलोच्य प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांकः– के माध्यम से पुनः प्रस्तुत प्रथम अपील जो न्यायालय को दिनांकः 05.11.19 को प्राप्त हुई, को भी उक्त अपील प्रकरण के साथ नत्थीबद्ध किया जावे।
13. निर्णय घोषित ।

02-12-19

(भगवतसिंह देवल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० म० जि०
राजस्थान
सरकार